भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/29/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 जून 2026

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः -एडी(ओआई)-27/2026

सेतु आईडी-एडी/ओआई/030/2026

विषय चीन जन.गण., सिंगापुर, थाईलैंड और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "100 माइक्रोन से अधिक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. मैसर्स गरवारे हाई-टेक लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण., सिंगापुर, थाईलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 100 माइक्रोन से अधिक पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने तथा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे भी वास्तविक क्षति का खतरा विद्यमान है तथा उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" अथवा "बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" (बीओपीईटी) है, जिसकी मोटाई 100 माइक्रोन से अधिक है। इसे सामान्यतः पीईटी फिल्म अथवा पॉलिएस्टर फिल्म के नाम से जाना जाता है। यह एक स्पष्ट, लचीली, पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी फिल्म है तथा इसके उपयोग के आधार पर इसके अनेक प्रकार उपलब्ध हैं।

4. पीईटी फिल्म सादी, रासायनिक लेपित, ऐक्रेलिक लेपित, एक तरफ या दोनों तरफ धातुयुक्त फिल्में हो सकती हैं। इस तरह की सभी पीईटी फिल्में द्विअक्षीय रूप से उन्मुख होती हैं और एक ही कच्चे माल से और एक ही तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इसलिए, इन प्रकारों में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएं होती हैं।

5. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण के विभिन्न उपशीर्षों जैसे 392062, 392069, 392190 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, उत्पाद मुख्य रूप से 39206210, 39206220, 39206290, 39206919 और 39219094 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तथा संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तथा संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद

विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना गया है।

ग. संबद्ध देश

7. इस जांच हेतु प्रस्तावित संबद्ध देश चीन जन.गण., सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात थे। तथापि, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सिंगापुर को संबद्ध देशों की सूची से बाहर रखा गया है।

8. तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड हैं।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

9. आवेदकों ने 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 (12 माह) को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025, तथा जांच की अवधि (पीओआई) सम्मिलित होगी.

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मैसर्स गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का न तो संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक से और न ही भारत में किसी आयातक से कोई संबंध है। आवेदक

भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है तथा इसका उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। एक अन्य उत्पादक, अर्थात् एसएमएल फिल्म्स लिमिटेड, जिसने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समान उत्पाद का उत्पादन किया है, ने भी आवेदन का समर्थन किया है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक तथा समर्थक उत्पादक मिलकर जांच की अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का 86 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग माना है। इसके अतिरिक्त, आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

च. <u>तथाकथित पाटन का आधार</u>

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए यह दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। यह भी कहा गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असफल रहते हैं कि उनकी लागत एवं मूल्य संबंधी सूचनाएँ बाजार-आधारित हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। उक्त पैरा के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तृतीय देश में संबद्ध सामान की कीमतों, अथवा ऐसे तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमतों, अथवा भारत में वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण., थाईलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु वह मूल्य सूची, वाणिज्यिक/विक्रय चालान,

व्यापार पत्रिकाओं आदि के आधार पर संबद्ध सामान का सामान्य मूल्य उपलब्ध कराने में असमर्थ था, जिससे संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों का पता चल सके। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक एचएस कोड उपलब्ध नहीं है तथा इसका आयात एवं निर्यात विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत किया जाता है। इन एचएस कोडों के अंतर्गत गैर-विचाराधीन उत्पाद (NPUC) का भी आयात एवं निर्यात होता है। इसलिए ऐसी कीमतें विश्वसनीय नहीं होतीं। अतः आवेदक ने जांच प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, आवश्यक समायोजन करते हुए, सामान्य मूल्य का दावा किया है।

14. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन जोड़कर, ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण उत्पादन लागत के आधार पर, उसमें उचित विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़कर किया गया है।

ख. थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य

15. प्राधिकारी ने थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण निर्मित लागत के आधार पर किया है, जिसमें उचित विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल करने हेतु समुचित समायोजन किया गया है।

ग. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा तथा ऋण लागत के संबंध में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि पर्याप्त भी है। प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति का साक्ष्य एवं कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह स्थापित होता है कि विचाराधीन आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है। विचाराधीन उत्पादों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया गया तथा पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया एवं अवसादित किया। यह दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण आवेदक को हानियां एवं निवेश पर प्रतिफल में गिरावट हुई है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसका प्रदर्शन कम उत्पादन, बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी, तथा महत्वपूर्ण हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल के रूप में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

(ज) पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से समर्थित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात, और अधिनियम की धारा 9क तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की

ऐसी राशि की सिफारिश करने हेतु जांच प्रारंभ करते हैं, जो यदि अधिरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. प्रक्रिय

20. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

21. 19. इस जांच से संबंधित सभी सूचना, प्रश्नावली तथा प्रस्तुतियां केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ही दायर की जानी चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

22. 20. जांच में भाग लेने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने में कोई कठिनाई हो, तो डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरणों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों की सभी संप्रेषण तथा प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम के अंतर्गत तथा संबंधित सेतु आईडी- एडी/ओआई/030/2026 के माध्यम से सेतु पोर्टल पर दायर की जानी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुतियों का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो, जबकि आंकड़ा फाइलें समुचित रूप से संबद्ध गणनाओं के साथ एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं।

23. 21. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में उन आयातकों और उपयोक्ताओं को, जो विचाराधीन उत्पादों से संबंधित होने के कारण ज्ञात हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप एवं तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

24. 22. जांच में रुचि रखने वाले पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच में अपनी रुचि, जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है, की सूचना दें तथा इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं/प्रस्तुतियां दायर करें।

25. 23. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस जांच से संबंधित प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से दायर कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी का एक अगोपनीय संस्करण भी साथ-साथ दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

26. 24. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए समय-समय पर व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) देखते रहने का निर्देश दिया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को डीजीटीआर की वेबसाइट नियमित रूप से देखने और विचाराधीन जांच में आगे होने वाले विकासों से अवगत रहने, तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, अंतिम निष्कर्ष और अन्य ऐसी सूचनाओं के संबंध में जारी की जाने वाली समय-समय की सूचनाओं से अवगत रहने का निर्देश दिया जाता है।

त्र. <u>समय-सीमा</u>

27. गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तिथि से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिपत्रित किया जाएगा अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा केवल सेतु पोर्टल के

माध्यम से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)/पीसीएन पद्धति के क्षेत्राधिकार पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

29. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) अथवा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जांच प्रारंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अवधि संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन के संबंध में जारी अधिसूचना की तिथि से उपलब्ध होगी। यदि जांच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी अथवा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उक्त 15 दिनों का विस्तार लागू नहीं होगा। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अधिक अतिरिक्त समय देने के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

30. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल निर्धारित समय-सीमा से कम-से-कम तीन दिन पूर्व केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ट. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना अथवा प्रस्तुति देता है, वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय रूपांतर भी साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन न किए जाने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

32. ऐसी प्रत्येक प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर इस प्रकार का अंकन नहीं होगा,

उन्हें प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर मूलतः गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा (जहां अनुक्रमण संभव न हो) रिक्त किया गया हो तथा गोपनीयता का दावा की गई सूचना का उचित एवं पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया गया हो।

34. गोपनीय रूपांतर में वह समस्त सूचना सम्मिलित होगी जो स्वभावतः गोपनीय है तथा/अथवा जिसे सूचना प्रदाता ने गोपनीय होने का दावा किया है। जहां किसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा उसके स्वभाव अथवा अन्य कारणों से किया जाता है, वहां सूचना प्रदाता को यह स्पष्ट करते हुए उचित कारण विवरण (Good Cause Statement) भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति का परीक्षण करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

36. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषयवस्तु को समुचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि कोई पक्षकार यह दर्शाता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारणों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिससे प्राधिकारी संतुष्ट हो सके कि सारांशीकरण संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी दावों पर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. यदि कोई प्रस्तुति सार्थक अगोपनीय रूपांतर अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारण विवरण के बिना प्रस्तुत की जाती है, तो प्राधिकारी उस गोपनीयता के दावे को अभिलेख पर स्वीकार नहीं करेंगे।

ठ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सभी अगोपनीय रूपांतर उनके संबंधित सेतु पोर्टल लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ड. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच में आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है, अथवा युक्तियुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच की कार्यवाही में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी पक्षकार घोषित कर सकते हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करते हुए केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी